



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 7)

15 पौष 1930 (श०)  
पटना, सोमवार 5 जनवरी 2009

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2008

सं० 15/बि०स०से०-02-06/2008 का०-10304-बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008) की धारा-19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) उक्त अधिनियम की धारा-11 के आलोक में, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त परीवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारणार्थ निम्नांकित विनियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—
  - (i) यह विनियामवली "बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियामवली, 2008" कही जा सकेगी।
  - (ii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ— जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियामवली में—
  - (i) 'सेवा' में अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा
  - (ii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008)
  - (iii) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा नियामवली, 2008
  - (iv) 'प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान' से अभिप्रेत है राज्य का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान एवं बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट (विपार्ड) तथा
  - (v) इस विनियामवली में प्रयुक्त अन्य शब्दों या संदर्भों, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो बिहार अधिनियम-3, 2008 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियामवली, 2008 में परिभाषित है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नांकित तीन लगातार चरणों में होंगे—
  - (i) प्रथम चरण (प्रशिक्षण अवधि चार सप्ताह)
  - (ii) द्वितीय चरण (प्रशिक्षण अवधि चार सप्ताह)
  - (iii) तृतीय चरण (व्यावहारिक प्रशिक्षण चार सप्ताह)